

निः ०६२७९ / २०१८ / सीधी / भू-प्र.

न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी राजस्व सर्किट कोटि रीवा म. प्र.

तीव्र प्रदेश कुमार ठिक्की
एक रुपये पैग | ५.१.१८

कलंक आँख की
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोटि) ग्वालियर देव तनय श्री लखपति देव,



२- आनन्द कुमार तनय श्री हौसला देव

३- कमलेश कुमार तनय श्री हौसला देव

४- अरुण कुमार तनय श्री हौसला देव

सभी का पेशा खेती सर्वं समस्त निवासी ग्राम नन्दनी धाना सर्वं

तहसील चितरंगी जिला सीधी म. प्र. ---- निगरानीकर्तारगण

बनाम

वृहस्पति सिह तनय श्री तेजप्रताप सिह सा. नन्दनी धाना सर्वं

तहसील चितरंगी जिला सीधी म. प्र. ---- गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय

श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय संभाग

रीवा म. प्र. के प्र. क्रमांक ८४/निग./

०२-०३ आदेश दिनांक १५-६-१८

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म. प्र. म.

रा. संहिता १९५९. इ०।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश न्यालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

रण क्रमांक मित्रा ६२७७/ए.पी./२०१४ जिला- नियंगरामी

रामेश्वरदेव विरुद्ध सहप्रिति सिटी

(1)

(2)

(3)

18-12-18

- आवेदक की ओर से श्री. मित्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक ४५। ए.पी। ०२।०३ में पारित आदेश दिनांक १४-६-१८ के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक ०५-१-२०१८ प्रस्तुत की गयी है।
- म०प्र०० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहप्रिति संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।
- इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात् प्रकरण दा.द. हो।

सदस्य